५५०२

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रू. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

43293

||श्री||

//विक्रय-पत्र//

कीमत रूपये १,८१,०००/-(अक्षरी रूपये एक लाख इक्यासी हजार मात्र) मे से रूपये ११,०००/ बयाने मे प्राप्त व रूपये १,७०,०००/-चेक नंबर ४६८४६९ दिनांक २७/०२/२००४ स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर शाखा पी.वाय.रोड इन्दौर के जरिये प्राप्त हो गये है।

बाजार मूल्य रूपये १,८१,०००/- पर मुद्रांक शुल्क चुकाया गया है।

मुद्रांक शुल्क रूपये	१२६७०=००
पंचा. मुद्रांक शुल्क रूपये	१८१०=००
उपकर रूपये	६३५=००
	=========
योग रूपये	१५११५=००
	=========

विक्रय पत्र में क्रेता पक्ष महिला होने से भारतीय स्टॉम्प (म.प्र. संशोधन) विधेयक१०/०३/२००३ के अनुसार मूल स्टॉम्प अधिनियम की अनुसुचि-१-क में अनुच्छेद-२२ के परन्तुक (छ)के अन्तर्गत दी गई १% की छूट अनुसार मुद्रांक शुल्क अदा किया है।

श्री नरेन्द्रपालसिंह पिता श्री नेपालसिंहजी,उम्र ४५वर्ष
निवासी विजयश्री नगर इन्दौर म.प्र.

-------बिक्रीदार

---और---

श्रीमती सुनिता पति श्री राकेशकुमारजी सोनी (वर्मा),उम्र २९वर्ष
निवासी २२,बडा सराफा इन्दौर म.प्र.

-------खरीददार

अविरत...२

सुनीता वर्मा

Scanned by CamScanner

15304
27/02/04

5000/1 + 500/2 + 5/3 = 5115/-

15304 से 15309 तक

27/02/04

~~पांच हजार एक सौ पन्द्रह रुपये मात्र~~

~~श्रीमती सुनिता पति राकेशकुमार सोनी (क्रय)~~

नि. 27 कु.1 सराफा

विवेक शर्मा

1793-D, सुदामा नगर, इन्दौर

द. सुनिता

~~नरेन्द्र पालसिंह पि. नेपालसिंह नि. विजय~~ 181000/-

~~श्री नगर~~

अधिनियम के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क	12670=00
नगरपालिक अधिनियम के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क	1810=00
अधिनियम के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क	635=00
मुद्रांक शुल्क	
योग	15115=00

श्रीमती सुनिता पति श्री राकेश कुमार जी सोनी

उप पंजीयक कार्यालय
11 MAR 2004
15=00

सुनीता वर्मा

27 FEB 2004

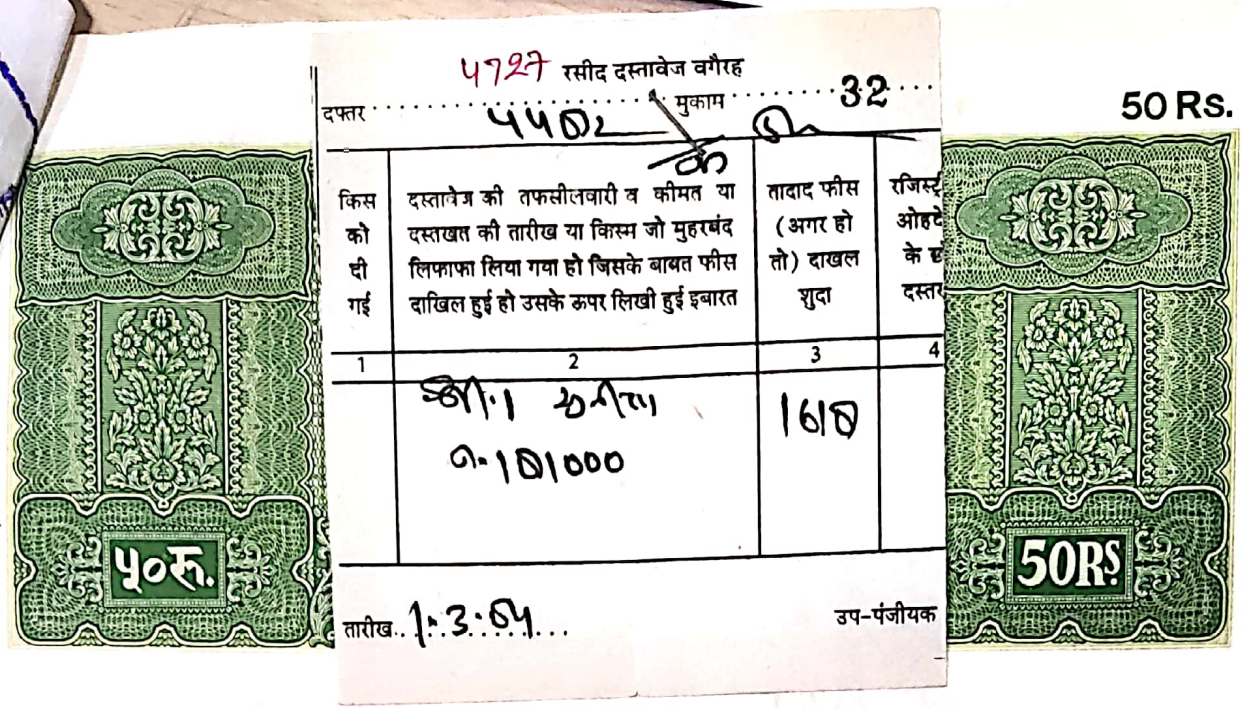

बिक्रीदार पक्ष यह विक्रयपत्र खरीददार पक्ष के हित में लिख देते है कि, विक्रेता पक्ष की मालकी व कब्जे आधिपत्य का प्लाट नंबर ९३ स्थित सुखदेव नगर एक्सटेंशन नंबर-१ ग्राम छोटा बांगडदा (ग्रामीण) तहसील व जिला इन्दौर म.प्र.का है। उक्त प्लाट विक्रेतापक्ष ने एक रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के जरिये माधुरी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित,इन्दौर से खरीद किया था। यह विक्रयपत्र उप-पंजीयक कार्यालय इन्दौर मे पु.क्र.१-अ/३५८७ देकर दिनांक ३०/०३/१९९७ को पंजीकृत किया हुआ है।

सदर सम्पत्ति विक्रेतापक्ष की स्वयं की क्रय की हुई सम्पत्ति है। इस प्रकार विक्रेतापक्ष ही सदर सम्पत्ति के एक मात्र मालिक काबिज होकर विक्रेता के सिवाय इस सम्पत्ति में अन्य किसी का कोई हक, हिस्सा या शरकत नहीं है। बिक्रीदार पक्ष ने टाईटल संबंधी समस्त कागजात क्रेता को दिखा दिये है। खरीददार की संतुष्टी करा दी है।

सदा सम्पत्ति के सम्बंध मे विक्रेतापक्ष ने कोई मुखत्यार नामा आम या खास किसी व्यक्ति या संस्था के हित मे किया हुआ नही है और इस प्रकार का कोई मुखत्यार नामा वर्तमान मे प्रभावशील भी नहीं है।

फिलहाल यह सम्पत्ति हर प्रकार के गिरवी, बिक्री, दान, जमानत, ऋण, आड, मेन्टेनेन्स, डिक्री, आसेध,हिवा, बक्षीस, पीरस्थान के चार्ज, मेहर, बैंकों और वित्तिय संस्थाओं ऋण, भार, चार्ज आदि से मुक्त स्थिती में है। इस विक्रयपत्र के विपरीत अन्य कोई सौदा, करार या विलेख पहले से अन्य किसी के हित में किया हुवा नहीं है। सदर सम्पत्ति के संबंध में कोई दावा या झगडा किसी भी न्यायालय में लम्बित या विचाराधीन भी नहीं है। सदर सम्पत्ति पर कोई देवस्थान या पीरस्थान नहीं है।

अविरत....३

सुनीलावती

Scanned by CamScanner

1530
22/02/04

विवेक शर्मा
स्टाम्प वेंडर
793-D, सुदामा नगर, इन्दौर

विक्रेता :- श्री नरेन्द्र पालसिंह पिता श्री नेपालसिंह जी निवासी विजय श्री नगर इन्दौर

क्रेता :- श्रीमती सुनिता पति श्री राजेश कुमार जी सोनी नि:- 22 बड़ा सराफा इन्दौर

मैं स्वीकार करता हूँ कि तथा स्वीकार करते हैं कि तथाकथित विलेख का निष्पादन किया गया था और प्रतिफल के पूरे/आंशिक 181000/- एक लाख इक्यासी हजार रु प्राप्त हो गये तथा रु. .... मेरी उपस्थिति में चुकाये गये थे और प्रतिफल की बकाया रकम या .... बच गई है .... जो पंजीयन के बाद प्राप्त होगी। .... 199 .... दि.......

(1) बलराम सिंह S. श्री सुखदेव सिंह पायदार नि० सुखदेव नगर इन्दौर

(2) राजेन्द्र S० पुरुषोत्तम बंसल नि० 214 एम.जी. रोड इन्दौर

अब आप पृष्ठांकन निष्पादकों/प्रतिफल को विलायत के दिनांक से दो वर्ष बाद 199

1 MAR 2004

उप-पंजीयक, इन्दौर (म.प्र.)

50 Rs.

विक्रेतापक्ष को सदर सम्पत्ति अनुपयोगी होने के कारण एवं दृव्य की आवश्कता होने से क्रेता को पर्याप्त मूल्य राशि **रूपये१,८१,०००/-(अक्षरी रूपये एक लाख इक्यासी हजार मात्र)** में उपरोक्त सम्पत्ति को विक्रय किया है। कीमत की राशि के चूकते रूपये विक्रयपत्र के प्रथम पृष्ठ पर लिखे अनुसार प्राप्त हो गये है। वक्त रजिस्ट्री के श्रीमान उप-पंजीयक महोदय के समक्ष कुछ भी लेना शेष नहीं रहा है।

<u>विक्रयांतर्गत सम्पत्ति का विवरण निम्नानुसार है :-</u>

यह प्लाट नंबर ९३ (तिरानवे) स्थित सुखदेव नगर एक्सटेंशन नंबर-१ ग्राम छोटा बांगडदा (ग्रामीण) तहसील व जिला इन्दौर म.प्र.का है। उक्त प्लाट की तल जमीन का साईज १५ फीट बाय ४० फीट होकर कुल क्षेत्रफल ६०० (छ:सौ) वर्गफीट याने ५५.७६ (पचपन दशमलव छियत्तर) वर्गमीटर है। जिसपर किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया हुआ नहीं है। खाली खुला ओपन प्लाट है। उक्त प्लाट आवासीय क्षेत्र में स्थित होकर आवासीय उपयोग का है।

<u>सम्पत्ति की चतु:सीमा निम्नानुसार है:-</u>

पूर्व में :- कालोनी की सडक है।
पश्चिम में :- प्लाट नंबर ८३ है।
उत्तर में :- प्लाट नंबर ९२ है।
दक्षिण में :- प्लाट नंबर ९४ है।

अविरत...४

सुनीता वर्मा

Scanned by CamScanner

5 RS

उपरोक्त बेची गई सम्पत्ति का मौके पर रिक्त आधिपत्य (एक्चुवल वेकेन्ट पजेशन) प्रत्यक्ष रूप से क्रेता को विक्रेतापक्ष ने मालिक नाते से सुपुर्द कर दिया है। कब्जा मिलना खरीददार ने स्वीकार किया है। उक्त कालोनी ग्राम पंचायत क्षेत्र मे स्थित है।

ग्राम पंचायत क्षेत्र मे छोटा बांगडदा का सीमाधिकार क्षेत्र है। समस्त कर,टैक्स आदि विक्रेता अदा करते आये है। भविष्य में उक्त सम्पत्ति के संबंध में समस्त कर, टेक्स आदि खरीददार स्वयं दिया करेंगे। विक्रयपत्र पंजीयन दिनांक से पूर्व के यदि कोई कर, टैक्स आदि बकाया निकले तो उसे अदा करने की समस्त जवाबदारी विक्रेतापक्ष की रहेगी। सदर सम्पत्ति खरीददार अपने नाम पर अपने खर्चे से संबंधित कार्यालयों में व ग्राम पंचायत में नामान्तरण करवायेंगे औपचारिक सहयोग के लिये विक्रेता सदैव तैयार तत्पर व बाध्य रहेंगे।

अत: इन्द्रियों के स्वस्थ व स्थिर बुद्धि की अवस्था में, किसी के रूचि दिलाने आदि के बगैर उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति अमला इससे संबंध रखने वाले समस्त स्वत्व व अधिकारों, सुखाधिकारों, इसमेन्ट राईट्स, प्रिविलेजेस, के सहित किसी भी स्वत्व व अधिकार को शेष रखे बिना खरीददार को अंतरित की है। बिक्रीदार ने अपने समस्त स्वत्व व अधिकार विक्रयांतर्गत सम्पत्ति पर से उठा लिये, समाप्त कर लिये है। खरीददार को अपनी ही तरह पूर्ण रूप से मालिक अधिपति स्वामी बना दिया है। जो भी अधिकार विक्रेता को प्राप्त थे, वह सब इस विक्रयपत्र के द्वारा क्रेता को प्राप्त हो गए है।

अन्तरित की गई सम्पत्ति के खरीददार पूर्ण रूप से मालिक काबिज हो गये है। अब क्रेता अपने वंश परम्परा तक इसका उपभोग व उपयोग लाभ, भाडा आदि प्राप्त करने के पात्र रहेंगे। चाहे जब चाहे जिसे व चाहे जिस प्रकार इस सम्पत्ति का विक्रय हस्तांतरण करें। इस पर विधिवत निर्माण कार्य आदि करें। यह सब अधिकार इस विक्रयपत्र के द्वारा क्रेता को प्राप्त हो गये है।

अविरत...५

सुनीता वर्मा

Scanned by CamScanner

अब यदि विक्रेता का कोई साजी या शरीक वारिस आदि अग्रसर होकर किसी किस्म का दावा बेची गई सम्पत्ति के प्रति करे तो इसकी जवाबदारी विक्रेतापक्ष की रहेगी तथा क्रेतापक्ष को किसी तरह का नुकसान नहीं होने देवेंगे। विक्रेता के अधिकार दोष के कारण सदर सम्पत्ति क्रेता के कब्जे और अधिकार से निकलजावे या किसी प्रकार के किसी दावा करने से या किसी भार या ऋण के कारण कुछ रूपया खरीददार को अदा करना पडे तो उन्हें अधिकार होगा कि वे विक्रय पत्र का चूकता रूपया अथवा अवसर होने पर आनुपातिक दृव्य लगा हुआ रूपया व्यय व हानि जो उठानी पडे व सब बेची गई सम्पत्ति से, विक्रेता से व विक्रेता के वारिसान आदि से जैसे भी हो वसूल कर ले। वारिसान आदि की जवाबदारी विक्रेतापक्ष वहन करेंगे। विक्रेतापक्ष को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

उपरोक्त विक्रय कि गई सम्पत्ति शासन या किसी भी विभाग द्वारा अधिगृहण में ली हुई नहीं है। सदर सम्पत्ति के विक्रय को कोई कानूनी अवरोध नहीं है। नगर एवं ग्राम निवेश अधि. १९७३ की बाधा नहीं है।

इस विक्रयपत्र में प्रयुक्त किसी भी शब्द वाक्य या प्रतिश्रव को भविष्य में और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये, अधिक विस्तार या व्याख्या या स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर खरीददार को या जिसे भी आवश्यकता हो उनके व्यय पर अन्य आवश्यक दस्तावेज, संशोधनपत्र, सहमतिपत्र, एडमिशन डीड, शपथपत्र, प्रार्थनापत्र, उत्तर आदि का निष्पादन, सम्पादन, पंजीयन, अटेस्टेशन, अटथन्टीकेशन, सत्यापन आदि कराने को सदा तत्पर तैयार रहेंगे।

सम्बोधन बिक्रीदार (विक्रेता) एवं खरीददार (क्रेता) में एतद् द्वारा उनके वारिस, उत्तराधिकारी, दायाधिकारी, स्वत्व, गृहिता, हितग्राही, उत्तरजीवी, समनुदेषित, असाईनी, नामिनी, स्थानापन्न स्वत्वार्पण प्राप्त कर्तागण, प्रबन्धक, व्यवस्था कर्तागण एवं वैद्य प्रतिनिधी आदि आदि का समावेश है और यह विक्रयपत्र व इसकी समस्त शर्ते उन पर भी समान रूप से बन्धन कारक रहेगी व इनके अधिकार व लाभ भी समान रूप से प्राप्त रहेंगे। इस विक्रयपत्र का सम्पूर्ण खर्चा क्रेतापक्ष ने वहन किया है।

अविरत...६

सुनीता वर्मा

Scanned by CamScanner

प्लाट नंबर ९३ (तिरानवे) स्थित सुखदेव नगर एक्सटेंशन नंबर-१ ग्राम छोटा बांगडदा (ग्रामीण) तहसील व जिला इन्दौर म.प्र.का है,का मौका नक्शा

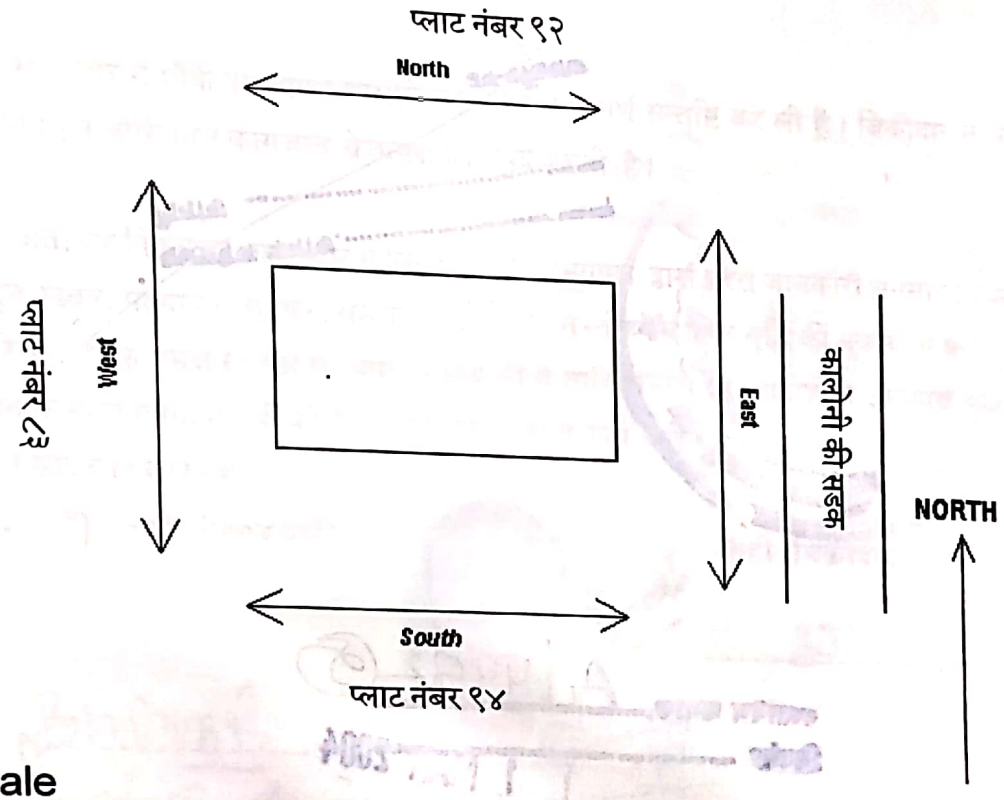

Not to scale

सुनीता वर्मा

Scanned by CamScanner

5 RS

INDIA

पाँच रूपये | सत्यमेव जयते | पाँच रूपये

FIVE RUPEES भारत FIVE RUPEES

:६:

खरीददार ने मौके पर जाकर सम्पत्ति को देख लिया, पूर्ण सन्तुष्टि कर ली है। बिक्रीदार ने समस्त टाईटल डीडस् व ओरिजनल कागजात क्रेतापक्ष को सुपुर्द कर दी है।

अत: यह विक्रयपत्र आज इंदौर में लिखा गया है। उभयपक्ष द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार लिखवाया है मजमुन पढकर, पढवाकर, सुनकर, समझकर विक्रेतापक्ष ने स्वस्थ्य व स्थिर बुद्धि की अवस्था में बगैर किसी दबाव के गवाहों के समक्ष स्वेच्छा से अपनी सहीयें की है, ताकि प्रमाण रहे। गवाहों ने उभयपक्ष के समक्ष निष्पादन के समय गवाह में सही की है। ताकि वक्त जरूरत काम आवे।

विलेख में कोई कांट छांट नहीं है।

दिनांक: ७ -०३-२००४ इंदौर

सही-बिक्रीदार

गवाह: १: Bhagwat

सुरेन्द्र सिंह ...

१, सुखदेव नगर इन्दौर

सही-खरीददार

गवाह: २: B K Bansal

सुनीता वर्मा

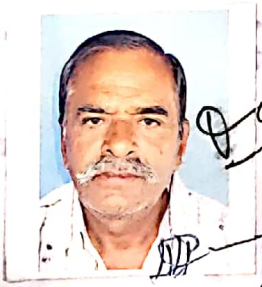

राजेन्द्र प्रहलाद दास बंसल

२१४, एम० जी० रोड, इन्दौर

मेरे द्वारा प्रारूपित एवं मेरे कार्यालय में टंकित

एडव्होकेट D. P. Sharma

Scanned by CamScanner

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

05AA 571159

विक्रयपत्र के साथ सलग्न पूरक स्टाम्प

दिनांक १/०३/२००४

-----सही विक्रेता

------सही क्रेता सुनीता वर्मा

Scanned by CamScanner

15321
27/2/04

क्र. श्रीमती ... पति श्री राकेश ... नि. 22 ... इन्दौर

क्र. नरेन्द्र पाल सिंह पि. नेपाल सिंह नि. विजय नगर इन्दौर

विवेक शर्मा
स्टाम्प वेंडर
1793-D, सुदामा नगर, इन्दौर

इस दस्तावेज में कांट छांट नहीं है।
उप पंजीयक

1 MAR 2004

25 FEB 2004

4482

1 MAR 2004

1593

25

1618

Scanned by CamScanner